ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024
भाग-1

1 **प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत दड़ूही में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उषा कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	प्रताप चंद	01.04.2022 से 27.05.2022
2	श्रीमति विन्तो कुमारी	27.05.2022 से 19.12.2022
2	श्री अशोक राज	19.12.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री करण सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	46.91
2	7.1	पंचायत के गृहकर/सम्पत्ति कर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.23
3	7.2	दुकानों के किराये की नियमित वसूली न करना	0.17
4	7.4	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.06
5	9.1	मनरेगा शीर्ष से सामग्री हेतु अधिक व गलत भुगतान करना	0.06
6	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान करना	0.04
7	9.4	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.79
8	7.3, 8.1, 9.2	अंकेक्षणापत्ति उपरान्त पंचायत द्वारा अनियमित भुगतानों की वसूली की सम्बन्धित खातों में पुष्टि करवाना शेष	0.10

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.06.2024 से 19.06.2024 तक ग्राम पंचायत दड़ूही, के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	10/2022
2023-24	03/2024	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 142/2024 दिनांक 18/06/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत दड़ूही द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सिमित, हमीरपुर, DDO NO - KAA 188671 दिनांक 01.07.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत दड़ूही द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है |

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सात (7) रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) (Online), अनुदान (प्लानिंग) (Online), स्वच्छ भारत मिशन (Online), इनाम राशि (Offline), 14वें वित्तायोग (Offline), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित):-

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	1440584.04	320667.00	1761251.04	793421.00	967830.04
2023-24	967830.04	333391.00	1301221.04	228499.00	**1072722.04**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	2042912.05	8941004.00	10983916.05	6997095.60	3986820.45
2023-24	3986820.45	6445179.00	10431999.45	6813503.00	3618496.45

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	3483496.09	9261671.00	12745167.09	7790516.60	4954650.49
2023-24	4954650.49	6778570.00	11733220.49	7042002.00	**4691218.49**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत दड्डूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता नाम	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	KCCB HAMIRPUR	20005086144	1072050.04
	अनुदान (प्लानिंग)	KCCB HAMIRPUR	20005046633	841295.15
	अनुदान (प्लानिंग)	PNB HAMIRPUR	8700000100024099	34828
	अनुदान (प्लानिंग)	INDUSIND HAMIRPUR	100167372931	90915
	इनाम राशि	PNB HAMIRPUR	8700000100020330	251924
	स्वच्छ भारत मिशन	HDFC HAMIRPUR	50100245765511	0
	14वां वित्तायोग	HDFC HAMIRPUR	50100160542946	630
	15 वां वित्तायोग	HDFC HAMIRPUR	50100356026557	2398904.30
2		**योग**		4690546.49
हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)				342
		योग (1+2)		4690888.49

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	1072722.04
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	3618496.45
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार खता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	4691218.49
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के बैंक खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क**" **व** "**ख**" का कुल अंतिम शेष	4690546.49
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	342.00
6)	योग (4+5)	4690888.49
7)	**अन्तर (3-6)**	**330.00**

अतः उक्त अन्तर के कारणों से अवगत करवाते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अन्तर की राशि को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाये।

(4) लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थीं | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 21 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर नियम अनुकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5) खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-"क" खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिंये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA (5) C (15)-(13) L 5-47005-81 दिनाँक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता – **"क"** व खाता- **"ख"** अलग-अलग से तैयार नहीं किया गया था एवं उक्त निर्देशानुसार स्कीम वाईज बैंक खाते नहीं खोले गये थे, जो कि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है और इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार रोकड़ बही व स्कीमवार बैंक खातों का रख-रखाव किया जाए और ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का अद्यतन सुनिश्चित किया जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनाँक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 21 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना मे निवेश शून्य था |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित खातों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹46.91 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **स्वयं स्त्रोत व अनुदान** सहित **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹4691218.49** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनाँक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 21 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 के प्रतिउत्तर की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 26 दिनांक 11/06/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे |

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों को सभी सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु उत्तरदायी होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 21 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं इन्हें निर्धारित/कार्य विशेष हेतु ही उपयोग में लाया गया था अथवा नहीं।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत गृहकर/ सम्पत्ति कर ₹0.23 लाख वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत्त (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 के क्रम संख्या 5, **सलंग्न (परिशिष्ट "ख")** के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 21 दिनांक 19.06.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व/गृहकर वसूली हेतू राशि ₹22800 निम्न विवरणानुसार शेष था :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	674 x 100 163 x 50	100 50	75550	75550	60750	14800
2023-24	14800	837	100	83700	98500	75700	**22800**

उक्त सारणी में वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में पंचायत राजस्व की सम्पूर्ण प्राप्ति कैसे सुनिश्चित की जाती है, स्पष्ट करें।

अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.17 लाख की वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार में सचिव द्वारा पत्र संख्या 21 दिनांक 19.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि उपलब्ध करवाई गई सूचना सलंग्न (**परिशिष्ट "ग"**) अनुसार दिनांक 31.03.24 तक दुकानों के किराये के रूप में राशि ₹17367/- निम्न विवरणानुसार वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	21864	21864	12539	9325
2023-24	9325	21864	31189	13822	17367

अत: दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.004 लाख की वसूली न करना :-

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **निम्न वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹400/- की वसूली नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	**नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**रसीद संख्या**	**वसूली योग्य राशि (₹)**	**वसूली गई राशि (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
1	Sourabh	09/03/2023	05/12/2023	59237	400	200	200
2	Suraj Bhan	18/02/2024	01/04/2024	59274	400	200	200
योग							**400**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 140/2024 दिनांक 18.06.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 23 दिनांक 19.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली हेतु रसीद संख्या 59284,59285 दिनांक 19/06/2024 द्वारा सम्बन्धित से करके पंचायत लेखे में जमा करवा दिया गया है और राशि जिसे राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.06 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में नियमानुसार प्राप्त राशि को हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि **₹6100**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "घ "**) में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 141/2024 दिनांक 18.06.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 23 दिनांक 19.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.06 लाख के राजकीय राजस्व की सम्भावित हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण अवधि 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 10/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे

पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "ड")** अनुसार राशि **₹5622.74** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139/2024 दिनांक 18/06/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 23 दिनांक 19.06.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित से रसीद संख्या 59290 दिनांक 28.06.24 द्वारा करके पंचायत लेखें में जमा करवा दी गई है, जिसे राजकीय कोष में जमा करवा दिया जायेगा व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वास्नानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9.1 मनरेगा शीर्ष से करवाए गये निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री बजरी व ईंट के रूप में खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित मास 10/2022 व 06/2023 में करवाए गए निर्माण कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री बजरी व ईंट के रूप में अधिक जारी करने के कारण निम्न विवरणानुसार **₹6008/-** का अधिक भुगतान किया गया था:-

क) निर्माण कार्य का नाम :- c/o sampark marg Maan chand ke ghar se Banshi Ram ke ghar tak :-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (m3)	रूपांतरण कारक	बजरी (m3)
125 79	CC 1:2:4	26.59	(.89)	**23.66**
	CC 1:4:8	28.65	(.89)	**25.49**
	कुल खपत			**49.15**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			53
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**3.85**
	क्रय दर (₹)			1060/m3
	अधिक भुगतान (3.85 x 1060)			4081
	कुल अधिक भुगतान			**₹4081/-**

ख) निर्माण कार्य का नाम :- **c/o cattle shed Guljaara w\o Laldeen, vill-sastar**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (m3)	रूपांतरण कारक	Bricks
165 72-73	Brick work	4.54	475	**2156**
	स्टॉक रजिस्टर अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा			2400
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री			**244**
	क्रय दर (₹)			7.9/per brick
	अधिक भुगतान (244 x 7.9)			1927
	कुल अधिक भुगतान			**₹1927/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 145/2024 दिनांक 19/06/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 23 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि राशि **₹6008/-** की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अवगत करवाया जाये तथा इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच एवं सत्यापना उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा करनी/करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.04 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (stone/boulders) के क्रय एवं ढुलाई हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 10/22 व 06/2023 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु निम्न विवरणानुसार राशि **₹31664/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियां (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹3958/-** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	वाउचर /बिल संख्या	दिनांक	फार्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा (m3)	मूल्य दर (m3)	मूल्य (₹)	कटौती दर %	रिक्तियां (Voids) (₹)
1	28	01-Oct	Balbir Singh Vill Sastar, Hamirpur	stone	25	870	21750	12.5	2718.75
2	1	01-Jun	Balbir Singh Vill Sastar, Hamirpur	stone	11.33	875	9913.75	12.5	1239.22
						Total	**31663.75**	**12.5**	**3957.97**

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143/2024 दिनांक 19.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दड़ूही के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 23 दिनांक 19.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित पत्थर की खरीद पर ₹3958 की वसूली सम्बन्धित से रसीद संख्या 59291 दिनांक 01.07.24 द्वारा करके पंचायत लेखें में जमा करवा दी गई है, जिसे राजकीय कोष में जमा करवा दिया जायेगा व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नियमानुसार नमूना जाँच एवं सत्यापना उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा करनी एवं करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

9.3 मनरेगा मद के अंतर्गत राशि ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए निम्न विवरणानुसार **₹741/-** का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि (₹)	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)
1	C/o retaining wall protection near the house of Ranjana kumari w/o Ashok kumar, vill-Gopal	(मस्ट्रोल संख्या 3023, 235, 336,464) (4240+6691+7527+1881) =20339 x 2/3=13559	ईंट	13559	14300	741
योग						**741/-**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 147/2024 दिनांक 19/06/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 23 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य के अधिक भुगतान राशि **₹741/-** की वसूली सम्बन्धित से (रसीद No-59292) दिनांक 01.07.24 द्वारा करके पंचायत लेखें में जमा करवा दी गई है, जिसे राजकीय कोष में जमा करवा दिया जायेगा व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इस तरह के मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कदम उठाये जायें।

9.4 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.79 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **सलंग्न (परिशिष्ट "च")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹178590/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना अर्थात बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144/2024 दिनांक 19.06.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 23 दिनांक 19.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण में दिए गए दिशा-निर्देशों की अनुपालना आगामी समय में कर ली जाएगी। प्रस्तुत उत्तर नियमानुकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

9.5 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9.6 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/ जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे।

ग्राम पंचायत द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किसी भी स्तर पर रसीदों के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः वांछित रसीद स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 127/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 एवं हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित है। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 22 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों /

अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत की लेखांकन प्रक्रिया पूर्ण एवं पारदर्शी नहीं है, जिसके चलते किसी भी स्तर पर सामग्री एवं धन के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
8	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
10	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 126/2024 दिनांक 12.06.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 21 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

4383– 4387 का0/प्रति 02 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)116/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत दडूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

का0/प्रति

Annaxure 'क' पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित) :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	1440584.04	320667.00	1761251.04	793421.00	967830.04
2	2023-24	967830.04	333391.00	1301221.04	228499.00	**1072722.04**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	2042912.05	8941004.00	10983916.05	6997095.60	3986820.45
2	2023-24	3986820.45	6445179.00	10431999.45	6813503.00	3618496.45

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	3483496.09	9261671.00	12745167.09	7790516.60	4954650.49
2	2023-24	4954650.49	6778570.00	11733220.49	7042002.00	**4691218.49**

Secretary
Gram Panchayat DAR
Teh & Distt Hamirpur

ग्राम पंचायत दड़ूही विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

अनुदान (प्लानिंग)(Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	16250.15	3729416	3745666.15	3473420	272246.15
2	2023-24	272246.15	2809666	3081912.15	2114874	**967038.15**

स्वच्छ भारत मिशन (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	15991.6	46	16037.6	15991.6	46
2	2023-24	46	0	46	46	**0**

इनाम राशि (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1327631	1327631	422976	904655
2	2023-24	904655	54365	959020	707096	**251924**

14वें वित्तायोग(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	452685	28108	480793	379697	101096
2	2023-24	101096	2781	103877	103247	**630**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1557985.3	1968748	3526733.3	817956	2708777.3
2	2023-24	2708777.3	912862	3621639.3	1222735	**2398904.3**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1887055	1887055	1887055	0
2	2023-24	0	2665505	2665505	2665505	**0**

Secretary
Gram Panchayat DARUHI
Teh & Distt Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'ख' पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खंड हमीरपुर , जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	0	674 x 100 163 x 50	100 50	75550	75550	60750	14800
2023-24	14800	837	100	83700	98500	75700	**22800**

Secretary
Gram Panchayat DARUHI
Teh. & Distt. Hamirpur H.P.

Annaxure 'ग' पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खंड हमीरपुर जिला हमीरपुर

दूकानों के किराया वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024)

Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2022-23	0	21864	21864	12539	9325
2	2023-24	9325	21864	31189	13822	17367

Secretary
Gram Panchayat D...
Teh. & Distt. Hamirpur H.P.

Annaxure 'G' पैरा संख्या 7.4 में सदर्भित

ग्राम पंचायत दड़ूही, बिकास खंड हमीरपुर,जिला हमीरपुर

(बिबाह पंजीकरण सूची

क्रम संख्या	नाम	बिबाह की तारीख	नामांकन की तारीख	रसीद संख्या	देय राशी (रु)	प्राप्त राशी (रु)	बकाया राशी (रु)
1	Amit Thakur	19/04/2022	29/04/2022	82472	200	200	
2	Mohmand Aslam	20/02/2022	18/05/2022	82479	400	400	
3	Sahil Mohmand	12/05/2022	06/06/2022	82489	200	200	
4	Rohit Thakur	20/04/2022	22/06/2022	82491	400	400	
5	Rajneesh Kumar	20/06/2022	11/07/2022	82495	200	200	
6	Neha	23/06/2022	16/07/2022	82496	200	200	
7	Anchol Thakur	04/08/2022	20/08/2022	128406	200	200	
8	Sunil Chandla	26/09/2022	11/10/2022	128413	200	200	
9	PranaySagar	04/12/2022	17/12/2022	128444	200	200	
10	Vikas Thakur	08/12/2022	21/12/2022	128447	200	200	
11	Ashish Thakur	22/02/2023	06/03/2022	128453	200	200	
12	Anshul Rana	22/02/2023	18/03/2023	128455	200	200	
13	Asraf ali	30/04/2023	27/05/2023	128467	200	200	
14	Dinesh Kumar	14/05/2023	12/06/2023	128472	200	200	
15	Sushil Kumar	27/06/2023	05/07/2023	128488	200	200	
16	Vinod Kumar	30/06/2023	07/07/2023	128489	200	200	
17	Virender Singh	13/07/2023	15/07/2023	128482	50	50	
18	Dinesh Kumar	26/06/2023	19/07/2023	128483	200	200	
19	imran khan	16/07/2023	11/08/2023	128493	200	200	
20	Sunil Kumar	25/09/2023	25/10/2023	59229	200	200	
22	Bishav Jeet	23/10/2023	31/10/2023	59230	50	50	
23	Rajaak Mohmand	08/10/2023	02/11/2023	59232	200	200	
24	Rajan Kumar	23/11/2023	02/12/2023	59235	200	200	
25	Subham Katna	09/11/2023	05/12/2023	59236	200	200	
26	Sourabh	09/03/2023	05/12/2023	59237	400	200	200
27	Ravinder Kumar	28/02/2024	19/03/2024	59262	200	200	
28	Sushil Kumar	07/03/2024	01/04/2024	59273	200	200	
29	Suraj Bhan singh	18/02/2024	01/04/2024	59274	400	200	200
	Total				**6100**	**5700**	**400**

Secretary Gram Panchayat DARUHI ... Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'ड' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

रॉयल्टी की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024) चयनित माह 10/22 और 06/23

Ser No	Scheme	Voucher No	Name Of Work	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
1	GIA(Planing)	20	C/o Pulli Nala Vishal Koushal Near The House Vill. Khala	132	Balbir singh	रेत	8.76	1.620	14.191	80	1135.296
						बजरी	15.58	1.520	23.682	80	1894.528
2	GIA(Planing)	31	C/o Excessive Amount Up Gradatation & complete Community Center daruhi	3	balal	रेत	11.33	1.620	18.355	80	1468.368
										योग	**4498.192**
										पेनल्टी 25%	**1124.548**
										कुल योग	**5622.740**

Secretary
Gram Panchayat DARUHI
Teh & Distt Hamirpur (H.P.)

25

25

Annaxure 'च' पैरा संख्या १.५ में संदर्भित

ग्राम पंचायत दड़ूही, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) चयनित माह 10/22 और 06/23

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	GIA (Planning)	c/o plastic waist management unit daruhi	62	akc/4196 09/22	Ajay kumar & co. near RTO office bhota hamirpur	steel sheet	116420
2	Inam rashi	c/o septi tank daruhi	7	0	satish kumar s/o sh. Dharm singh	shetring & STEE	21805
3	Inam rashi	C/O CHC Daruhi	10	177	thakur hardware store, pakka bharo	hardware items	10965
4	15FC	C/o sampark marg sundar singh house to health center daruhi	5	909	sai flower tile, hamirpur	paver Tiles	29400
Total							**178590**

Secretary
Gram Panchayat DARUHI
Teh & Distt Hamirpur H.P.

(26)

26

26